भी पहचान पत्रों के अनुसार पुनाराम पुत्र मोहनराम करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ने इकबाली जवाब दावा पेश होने व प्रतिवादी संख्या 5 केवल परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई। साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पुनाराम का प्रस्तुत किया एवं साथ ही नकल जमाबंदी 2073-76 मौजा खारीजोधा के खाता संख्या 388 प्रदर्ष-1 मृत्यु प्रमाण पत्र रामदेव प्रदर्ष 2 मृत्यु प्रमाण पत्र पुनाराम प्रदर्ष 3 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब दावा पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादपत्र को डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। वकिल वादी ने निवेदन किया कि वादी का सही नाम पुनाराम पुत्र मोहनराम हि है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बंट में अन्य भूमियां आई हुई है इस लिए खसरा नम्बर 42 पर केवल वादी का ही हक हिस्सा है। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंषिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार जायल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार वादी का सही नाम पुनाराम पुत्र मोहनराम ही है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड नम्बर 6054 0733 5370 में वादी का नाम पुनाराम पुत्र मोहनराम है। मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0684 हैक्टेयर में प्रतिवादी 1 से 3 को पुनिया, बलदेव एवं रामदेव के साथ सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर डिक्रि किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :—

अंतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी अधिन धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थन काश्तकारी अधि. एवं धारा 136 भू राज. अधि. का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. मौजा लूणसरा के खाता संख्या 388 के खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0684 हैक्टेयर, में प्रार्थी का नाम पुनिया पुत्र तेजा के स्थान पर पुनाराम पुत्र मोहनराम दुरूस्त/दर्ज किया जाने का आदेश दिये जाते है एवं मौजा लूणसरा का खेत खसरा नम्बर 42 रकबा 1.0684 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादी पूनाराम पुत्र मोहनराम के हक बंट कब्जा काश्त में रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरान का रहन यथावत रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 9.12.23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner